

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक/पटना, दिनांक.....
03/नि0विविध प्रशि0-08/2011 (100893)

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना, बिहार।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना से विभागीय प्रचार-प्रसार अंतर्गत प्रमंडल स्तर पर नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्षों का एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 8463 पैक्सों के लिए कुल रु0 62,23,850/- (बासठ लाख तेईस हजार आठ सौ पचास) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना से विभागीय प्रचार-प्रसार अंतर्गत प्रमंडल स्तर पर नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्षों का एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 8463 पैक्सों के लिए कुल रु0 62,23,850/- (बासठ लाख तेईस हजार आठ सौ पचास) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में मांग संख्या-09 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2425-सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-सूचना एवं प्रचार, उपशीर्ष-0101-सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय, विपत्र कोड-09-2425001050101 विस्तृत शीर्ष-20-अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष-02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के कार्यालय के लिये प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इसके लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त, बिहार, पटना के पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कौषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अदतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

5. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

6. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या-03/नि0विविध प्रशि0-08/2011 के पृष्ठ संख्या- 83/टि0 दिनांक 24.02.2025 को प्राप्त है।

कृ०पृ०उ०

7. इस राशि की निकासी एवं व्यय हेतु सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या- 03/नि0विविध प्रशि0-08/2011 के पृष्ठ संख्या- 84/टि0 दिनांक 25.02.2025 पर प्राप्त है।

ह0/-

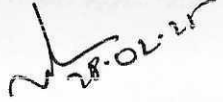
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक.....518...../पटना, दिनांक 28/02/2025
03/नि0विविध प्रशि0-08/2011 (100893)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबन्द लिफाफे के साथ।
2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना को विपत्र की प्रति के साथ।
3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा बिहार, पटना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03 सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आईटी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लिपि
28.02.2025


सरकार के अपर सचिव।